के.वी.एस और अन्य

बनाम

जस्पल कौर और अन्य

6, जून, 2007

(डॉ. अरिजीत पासायत एवं डी. के जैन, जे. जे.)

सेवा कानूनः-

भविष्य निधि योजनाएं-जी.पी.एफ एवं सी.पी. एफ- केन्द्रीय विद्यालय संगठन के कर्मचारी द्वारा जी.पी.एफ योजना की सदस्यता- केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा जारी परिपत्र जिससे कर्मचारी को जी.पी.एफ योजना से सी.पी.एफ योजना में परिवर्तन का विकल्प प्रदान किया उसे सी.पी.एफ योजना का नया नंबर आवंटित किया गया बाद में उसके द्वारा सी.पी.एफ. योजना से जी.पी.एफ. योजना में परिवर्तित किया जाना चाहा- अधिकारियों द्वारा अस्वीकार किया गया- उसका मूल प्रार्थना पत्र केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण द्वारा स्वीकार कर यह प्रतिपादित किया कि वह जी.पी.एफ योजना का लाभ प्राप्त करने की अधिकारी है- चुनौती दी गयी -उच्च न्यायालय द्वारा खारिज की गई। अपील में यह प्रतिपादित किया-किः- अंतिम वेतन प्रमाण पत्र स्पष्ट रूप से यह दर्शाता है कि उसके द्वारा सी.पी.एफ. योजना की सदस्यता ली थी अधिकारियों द्वारा पेश अन्य सभी

दस्तावेजों से भी यह स्थापित है- कि उसके द्वारा सी.पी.एफ. योजना के विकल्प का चयन किया था- केवल मात्र इस कारण से कि अधिकारियों द्वारा इस संबंध में मूल दस्तावेज पेश नहीं किये गये, उनके द्वारा पेश की उसके पर्याप्त सामग्री जिससे इस तथ्य की पुष्टि की जा सकती है। को उनके द्वारा विकल्प का चयन किया गया था, को अनदेखा करने का आधार नहीं होना चाहिए। दोनों न्यायालयों द्वारा अलग-अलग दृष्टिकोण लिया जाना उचित नहीं है।

प्रत्यार्थी संख्या-1, ने केन्द्रीय विद्यालय संगठन में प्राथमिक विद्यालय शिक्षक के रूप में कार्यभार ग्रहण किया गया था। के.वी.एस. द्वारा एक परिपत्र जारी किया जिससे कर्मचारीगण को एक । जी.पी.एफ. योजना से सी.पी.एफ योजना में परिवर्तन का विकल्प दिया गया प्रत्यार्थी संख्या-1 द्वारा सी.पी.एफ योजना में ही जुड़े रहने का विकल्प चुना. उसे नया सी.पी.एफ. अकाउंट नंबर आवंटित किया गया। उसके पश्चात् उसके द्वारा सी.पी.एफ. योजना से जी.पी.एफ योजना में परिवर्तन चाहा। अतः उसके द्वारा इस संबंध में संबंधित अधिकारियों के आवेदन किया, आवेदन समक्ष आवेदन किया। अधिकारियों द्वारा उसके आवेदन को खारिज किया गया। तत्पश्चात् के.वी.एस. द्वारा इस आशय का एक आदेश पारित किया गया कि वह जी.पी.एफ. कम पेंशन स्कीम का लाभ प्राप्त करने की अधिकारिणी इस कारण नहीं है। क्योंकि उसके द्वारा सी.पी.एफ. योजना के विकल्प को चुना

गया था। उसके द्वारा केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण में इस आदेश के विरुद्ध अपील की गयी। केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण द्वारा यह प्रतिपादित किया गया कि वह जी.पी. एफ. योजना कम पेंशन योजना का लाभ लेने की अधिकारिणी है। केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण द्वारा पारित आदेश को अधिकारियो द्वारा रिट के माध्यम से चुनौती दी गई, जिसे उच्चे न्यायालय द्वारा खारिज किया गया। अतः हस्तगत अपील पेश हुई।

याचिकाकर्ता द्वारा यह आपत्ती ली गई कि प्रत्यार्थी संख्या-1 द्वारा सी.पी.एफ. योजना में सम्मिलित रहने के विकल्प को चुना गया था, जो उनके द्वारा पेश विभिन्न दस्तावेजों से स्पष्ट दर्शित हैं।

प्रत्यार्थीयों द्वारा यह कथन किया गया कि मूल दस्तावेज जिनसे विकल्प को चुना जाना दर्शित हो, वह पेश नहीं किये गये हैं और चूंकि अन्य साक्ष्य पेश किये गये हैं, वे विकल्प के चयन को स्पष्ट दिखाने के लिए पर्याप्त नहीं हैं ।

उक्त अपील को स्वीकार करते हुए न्यायालय द्वारा प्रतिपादित किया किः-

1.1. प्रत्यार्थी संख्या-1 द्वारा अपने प्राथर्ना पत्र दिनांकित 15.03.1997 में स्पष्ट रूप से यह अंकन किया है कि वह सी.पी.एफ. योजना में योगदान कर रही थी जिसमें उसके द्वारा अपने अकाउंट नंबर का

भी उल्लेख किया है। उक्त दस्तावेज से यह स्पष्ट दर्शित है कि प्रत्यार्थी संख्या-1 को अकाउंट नंबर के परिवर्तन के बारे में जानकारी थी और उसने स्वयं ने उक्त अकाउंट नंबर का उल्लेख किया है। परिवर्तन के बारे में उसकी बनावटी अज्ञानता बिल्कुल खोखली है, क्योंकि उसे स्वयं को उक्त परिवर्तित नंबर की जानकारी थी। (पैरा 6) (973- ए.बी)

1.2. प्रत्यार्थी संख्या-1 को दिनांक 23.05.1992 को जारी अंतिम वेतन प्रमाण पत्र में स्पष्ट रूप से सी.पी.एफ. सदस्यता के अंतर्गत 130/- रुपये की कटौती दर्शित है और उससे उसके द्वारा सी.पी.एफ. योजना एवं 130/-रूपये प्रतिमाह की कटौती एवं उसका सी.पी.एफ. अकाउण्ट नंबर के संबंध में अनुमान किया जा सकता है।

उक्त दस्तावेजों के आधार पर केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण एवं उच्च न्यायालय द्वारा यह प्रतिपादित नहीं किया जाना चाहिए था कि प्रत्यार्थी संख्या-1 द्वारा उक्त विकल्प को नहीं चुना गया । (पैरा 7) (973-बी, सी)

1.3 प्रस्तुत किये गये सभी दस्तावेजों से यह साबित है कि प्रत्यार्थी संख्या-1 द्वारा सी. पी. एफ. योजना के विकल्प को चुना गया था। केवल मात्र इस कारण कि विकल्प चुने जाने के संबंध में मूल दस्तावेज पेश नहीं किया गया है, उनके द्वारा पेश पर्याप्त साक्ष्य जिससे इस तथ्य की पुष्टी होती है कि उसके द्वारा विकल्प चुना गया था, को अनदेखा

करने का आधार नहीं होना चाहिए था। केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण एवं उच्च न्यायालय द्वारा लिये गये अलग-अलग दृष्टीकोण उचित नहीं हैं। (पैरा 7) (973-डी.ई)

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः सिविल अपील सं. 2876/2007

उच्च न्यायालय पंजाब व हरियाणा के अंतिम निर्णय और आदेश दिनांक 22.03.2005 से जो कि 2005 के सी. डब्ल्यू. पी. सं. 2365 में पारित किया गया।

अपीलार्थियों के लिए एस. राजप्पा ।

राजेश दिनेश वर्मा, उषा ए.पी. मोहंती और राजेश कुमार उत्तरदाताओं के लिए।

न्यायालय का निर्णय न्यायाधिपति डॉ. अरिजित पासायल द्वारा पारित किया गया।

1. प्रार्थना पत्र स्वीकार किया गया।

2. इस अपील में पंजाब व हरियाणा उच्च न्यायालय के डिवीजन बेंच द्वारा पारित आदेश को चुनौती दी गई है, जिसमें अपीलार्थी द्वारा पेश रिट याचिका को खारिज किया।

3. संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैः-

उत्तरदाता नं. 1 केन्द्रीय विद्यालय संगठन (केवी.एस.) में प्राथमिक विद्यालय विक्षक के रूप में दिनांक 20.07.1978 को कार्यभार ग्रहण किया। के.वी.एस. एक स्वायत्त निकाय है जो पूरे देश में स्कूल चलाता है। दिनांक 1.9.1988 को के.वी.एस. द्वारा केवीएस कर्मचारियों को सी.पी.एफ. योजना से जी.पी.एफ. योजना में परिवर्तन का विकल्प प्रदान करने के लिए परिपत्र जारी किया। दिनांक 6.3.1989 के. वी. एस द्वारा सी. पी. एफ. की सदस्यता में खाता नंबर आवंटित किया। जिसमें प्रतिवादी नं. 1 एस का नाम क्रम संख्या 8 पर है। इस दस्तावेज से पर पता चलता है कि कई कर्मचारियों ने सी. पी. एफ. योजना का लाभ उठाया। इस दस्तावेज से यह दर्पित है कि कई कर्मचारीगणों द्वारा सी.पी.एफ. योजना का लाभ उठाया गया था। प्रत्यार्थी संख्या 1 को दिनांक 6.7.1989 को एक नये सी.पी.एफ. खाता संख्या का आवंटन किया गया था, क्योंकि उसके द्वारा सी.पी.एफ. योजना में बने रहने का विकल्प चुना था। दिनांक 15.7.1989 को एक संबोधित सी.पी.एफ. खाता जो दिनांक 6.3.1989 के पत्र द्वारा आवंटित किया गया था, को पुनः बदला गया। ओ.एम दिनांकित 15.3.1997 के पत्र से जिसमें भी प्रत्यार्थी संख्या-1 का नाम क्रम संख्या 8 पर है। दिनांक 15.3.1997 को प्रत्यार्थी संख्या-1 को एक पत्र प्राप्त हुआ, जिसमें यह कथन था कि उसके द्वारा सी.पी.एफ योजना को जारी रखा गया है, और उसे बदलाव करके जी.पी.एफ योजना कर लेना चाहिए। इस प्रार्थना पत्र में प्रत्यार्थी संख्या-1 द्वारा कथन किया गया कि वह सी.पी.एफ में योगदान कर

रही है एवं सी.पी.एफ. खाता संख्या जे.आर.सी 1889 है। दिनांक 16.09.2002 को प्रत्यार्थी संख्या-1 द्वारा एक और प्रार्थना पत्र सी.पी.एफ योजना से जी.पी.एफ. योजना में परिवर्तन हेतु दिया। (वरिष्ठ लेखा परीक्षा और लेखा अधिकारी द्वारा सी.पी.एफ से जी.पी.एफ में बदलाव को पत्र दिनांकित 07.11.2002 के जरिये खारिज कर दिया गया। दिनांक 08.03.2004 को के. वी.एस. द्वारा पारित आदेश के अनुसार यह तय किया गया कि प्रत्यार्थी संख्या- 1 जी. पी. एफ योजना कम पेंशन योजना का लाभ नहीं ले सकती, क्योंकि उसके द्वारा सी. पी. एफ योजना चुनी गयी है। उसके द्वारा इसके विरूद्ध केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण पीठ चंडीगढ़, चंडीगढ़ में चुनौती दी गई। केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण द्वारा यह प्रतिपादित किया गया कि वह जी.पी.एफ. योजना कम पेंशन योजना के लाभ प्राप्त करने की अधिकारिणी है। केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण द्वारा मूल प्रार्थना पत्र इस आधार पर स्वीकार किया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रत्यक्ष साक्ष्य पेश नहीं किया है जिससे यह दर्शित हो कि प्रत्यार्थी संख्या-1 द्वारा योजना के विकल्प को चुना गया और अपीलार्थी द्वारा पेश इस आशय का द्वितीय साक्ष्य कि उसके द्वारा सी.पी.एफ. योजना को बरकरार रखा जा रहा था व उसको सी.आई.एफ खाता संख्या भी आवंटित हो गया था, को दरकिनार कर दिया गया। केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण द्वारा यह भी प्रतिपादित किया गया कि प्रत्यार्थी संख्या-1 इस आधार पर भी जी.पी.एफ कम पेंशन योजना का लाभ प्राप्त करने की अधिकारिणी थी कि

वह के.वी.एस में सेवारत है। साथ ही यह भी अग्रिम आदेश दिए गए कि प्रत्यार्थी संख्या-1 नियत तिथि से परिणामी लाभों के साथ जी.पी.एफ योजना की अधिकारिणी है। उच्च न्यायालय के समक्ष पेश रिट याचिका को केवल इस आधार पर खारिज किया गया कि विभाग को काफी अवसर दिए जाने के पश्चात् भी कोई प्रत्यक्ष साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया था। उच्च न्यायालय द्वारा यह प्रतिपादित किया गया कि विकल्प के चयन को लिखित में किया जाना चाहिए था व अन्य पेश किये गये साक्ष्य यह दिखाने हेतु पर्याप्त नहीं है कि प्रत्यार्थिन द्वारा विकल्प चुना गया था।

4. अपीलार्थीयों के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह कथन किया गया कि विभिन्न दस्तावेजों को संदर्भित किया गया है, जिससे प्रथम दृष्टया यह स्पष्ट है कि विकल्प चुना गया था। इसके विपरीत, विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थीगण द्वारा यह कथन किया गया कि मूल दस्तावेज जिनसे विकल्प चुना जाना दर्शित हो, वे पेश नहीं किये गये हैं। केवल इस कारण कि अन्य साक्ष्य पेश किए गए है, वे विकल्प चुने जाने के संबंध में पर्याप्त नहीं हैं

5. इस संदर्भ में यह भी ध्यान दिये जाने योग्य है कि न्यायाधिकरण द्वारा स्वयं यह उल्लेख किया है कि पासबुक आवेदक का नाम व के.वी.एस. के प्रधानाचार्य के हस्ताक्षर संख्या 1889 पर इंगित है। इससे के.वी.एस. में जुलाई 1978 से मई 1992, 1992 से अप्रैल 2002, बड्डोवाल में, अप्रैल 2003 से अप्रैल 2004- हलवारा में और पुनः के. दिल्ली में, मई वी.एस

बड्डोवाल में उसकी नियुक्ति दर्शित है। सी.पी.एफ में जमा करने के लिए वेतन भत्ते से कटौती वाली आयकर विवरणी की प्रति भी इस तथ्य की पुष्टि करती है। यह द्वितीय साक्ष्य यह दर्शाते हैं कि नियमित रूप से उसके वेतन और भत्ते से कटौती की जा रही थी केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण के अनुसार यह दिखाने के लिये पर्याप्त नहीं था कि उसके द्वारा विकल्प चुना गया था।

6. यह भी ध्यान दिये जाने योग्य है कि के.वी.एस के संशोधित सी.पी.एफ संख्या के आवंटन पत्र संख्या 16-2/सी.ओ./89-90/सी.पी.एफ./के.वी.एस/पी. एफ दिनांकित 6.3389 में प्रत्यर्थी संख्या-1 का नाम क्रम संख्या 8 पर इंगित है और पूर्व सी.पी.जी संख्या सी.ई.सी 2685 के स्थान पर सी.पी.जी. संख्या 1889 इंगित है। उक्त परिवर्तन को प्रत्यार्थी संख्या-1 द्वारा इन्कार नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्त पुनः के.वी.एस के पत्र संख्या 16-2/सी.ओ./89-90/सी.पी.एफ./के.वी.एस/पी.एफ दिनांकित 06.07.1989 में प्रत्यार्थी संख्या-1 का नाम क्रम संख्या 8 पर इंगित है और पुनः पूर्व सी.पी.एफ संख्या सी.पी.एफ नंबर सी.ई.सी 2685 इंगित है। यह पत्र इस कारण महत्वपूर्ण है क्योंकि संबंधित कर्मचारी की सेवा पुस्तिका में उन्हें सी.पी.सी अकाउंट के आवंटन के बारे में सूचित किये जाने का नोट अंकित है। के.वी.एस पत्र संख्या एफ-2/सी.ओ./89-90/सी.पी.एफ./के.वी.एस/पी.एफ

दिनांकित 15.07.1989 में पूर्व पत्र दिनांक 06.07.1989 के संबंध में कर्मचारियों को परिवर्तन के बारे में सूचित किया । पुनः इस पत्र में प्रत्यार्थी संख्या- 1 का नाम कम संख्या 8 पर इंगित है। इस विवाद के संबंध में सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज प्रत्यर्थी संख्या -1 का पत्र दिनांकित 15.03.1997 है, जिसमें उसने स्पष्ट रूप से यह कथन किया है कि वह सी.पी.एफ. में योगदान दे रही है और उसका खाता संख्या जे.आर.सी 1889 है। यह पत्र लेख अधिकारी को संबोधित किया गया था। इस दस्तावेज से यह स्पष्टतः प्रमाणित है कि प्रत्यर्थी संख्या-1 को इस खाता संख्या के परिवर्तन के बारे में भली भांति जानकारी थी, उसके द्वारा स्वयं इस खाता संख्या का उल्लेख किया गया है। परिवर्तन के बारे में उसकी बनावटी अज्ञानता बिल्कुल खोखली है, क्योंकि वह स्वयं बदली हुई संख्या के बारे में जानती थी।

7. प्रस्तुत किये गये सभी दस्तावेजों से यह साबित है कि प्रत्यर्थी संख्या-1 द्वारा सी. पी.एफ. योजना के विकल्प को चुना गया था। केवल मात्र इस कारण कि विकल्प चुने जाने के संबंध में मूल दस्तावेज पेश नहीं किया गया है, उनके द्वारा पेश पर्याप्त साक्ष्य जिससे इस तथ्य की पुष्टी होती है कि उसके द्वारा विकल्प चुना गया था, को अनदेखा करने का आधार नहीं होना चाहिए था। केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण एवं उच्च न्यायालय द्वारा लिये गये अलग-अलग दृष्टीकोण उचित नहीं हैं। इस न्यायालय के

आदेश अनुरूप प्रत्यर्थी संख्या-1 की मूल सेवा पुस्तिका पेश की गई। दिनांक 10.06.2005 के अंतिम वेतन प्रमाण पत्र में भी यह दर्शित है कि उसके द्वारा सी.पी.एफ योजना को चुना गया था। यही स्थिति दिनांक 19.04.2003 व दिनांक 18.01.1982 के अंतिम वेतन प्रमाण पत्र में भी है। ये सभी दस्तावेज प्रमाणित करते हैं कि प्रत्यर्थी संख्या-1 द्वारा सी.पी.एफ योजना के विकल्प को चुना गया था । केवल मात्र इस कारण से कि अधिकारियों द्वारा इस संबंध में मूल दस्तावेज पेश नहीं किये गये, उनके द्वारा पेश पर्याप्त सामग्री जिससे इस तथ्य की पुष्टि की जा सकती है कि उसके द्वारा विकल्प का चयन किया गया था, को अनदेखा करने का आधार नहीं होना चाहिए। केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण एवं उच्च न्यायालय द्वारा अलग दृष्टिकोण लिया जाना उचित नहीं था।

8. उक्त अपील स्वीकार की जाती हैं परंतु, हस्तगत परिस्थितियों में व्यय के संबंध में कोई आदेश नहीं किये जाते हैं।

एस.के.एस अपील स्वीकार की जाती है।

[यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक, न्यायिक अधिकारी नेहा (आर.जे.एस.), द्वारा किया गया है।]

अस्वीकरण : यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।